



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 16, 2019/चैत्र 26, 1941

No. 257]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 16, 2019/CHAITRA 26, 1941

xg ea=ky;

vf/kl puk

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2019

1 k-dk-fu- 308%½—केंद्रीय सरकार, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में जज अटर्नी जनरल, अपर जज अटर्नी जनरल, उप जज अटर्नी जनरल तथा जज अटर्नी समूह 'क' पदों पर भर्ती नियम 2010 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, गृह मंत्रालय में जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक), अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) तथा जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

- 1- I f{klr uke vks i kj bk.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल जज अटर्नी जनरल, अपर जज अटर्नी जनरल, उप जज अटर्नी जनरल तथा जज अटर्नी समूह 'क' पद भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2019 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2- ykxw gkuk— ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- 3- inka dh l [; k] oxhldj.k vks oru efvDI ea Lrj.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4- HkrhZ dh i ) fr] vk; q l hek vks vU; vgrk, a vkfn.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. I k/kkj.k% जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक), अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) तथा जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) के रूप में की गई सेवा न्यायिक सेवा समझी जाएगी और उसकी सभी प्रयोजनों के लिए इस रूप में गणना की जाएगी।
- 6- fpdfRI h; n"V; k ; kX; rk.— इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केवल वे व्यक्ति जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग श्रेण-1 में हैं, प्रोन्नति और नियुक्ति जिसके अंतर्गत इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन पर नियुक्ति भी है, के लिए पात्र होंगे।
- 7- Okfj"Brk जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक), अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) तथा जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार अवधारित होगी अर्थात:—  
i) किसी सारभूत हैसियत में नियुक्त कोई अधिकारी स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किए गए किसी अधिकारी से वरिष्ठ होगा,

- ii) किसी सारभूत हैसियत में किसी पद पर नियुक्त किए गए अधिकारियों की वरिष्ठता उस पद पर अधिष्ठायी हैसियत में उनकी नियुक्ति की तारीख के अनुसार अवधारित होगी और जहां दो या अधिक अधिकारी एक ही तारीख को सारभूत हैसियत में नियुक्त किए जाते हैं, वहीं उनकी वरिष्ठता किसी स्थानापन्न हैसियत में ऐसे पद धारण करते समय उनकी वरिष्ठता के अनुसार अवधारित होगी; और
- iii) किसी स्थानापन्न हैसियत में किसी पद पर नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता उन पदों पर नियुक्ति के लिए उनके चयन के क्रम के अनुसार अवधारित होगी।

8. Iok dh vll; 'krk ऐसे विषयों के संबंध में जिनके बारे में इन नियमों के अधीन कोई उपबंध नहीं किए गए हैं या अपर्याप्त उपबंध हैं, जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक), अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) तथा जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) की सेवा शर्तें जब तक कि केंद्रीय सरकार लिखित में किसी आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश न दें, वही होंगी जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे अन्य अधिकारियों जो तत्समान रैंक या प्रारिथति धारण किए हुए हैं, के लिए समय-समय पर लागू होती हैं।

9. fujgrk.— वह व्यक्ति,—

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

10- f'kfky djus dh 'kfDr.— जहाँ केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

11- fonf'k; ka dh vik=rk.— कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा :

परन्तु इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नेपाल या भूटान के नागरिकों की नियुक्ति या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी।

12- vf/kof'krk.—(1) ऐसे अधिकारी जो जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक) का पद धारण किए हुए हैं, उस मास के जिसमें वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होंगे तथा अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट), उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) तथा जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) उस मास के जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होंगे।

परन्तु कोई जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख है, वे सेवानिवृत्ति की आयु सत्तावन या साठ वर्ष प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराहन में सेवानिवृत्त होंगे अर्थात् साठ वर्ष या सत्तावन वर्ष जैसी भी स्थिति हो।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के लिए विहित आयु के पश्चात् सेवा विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

13- 0; kof'uk.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

14- fuopu—यदि इन नियमों के निर्वचन को लेकर कोई प्रश्न उठता है, तो वह केंद्रीय सरकार को भेज दिया जाएगा जो इस पर निर्णय लेगी।

vud iph

in dk uke	inka dh l a; k	oxhidj . k	oru EkSVDI ea Lrj	p; u ; k vp; u in
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. जज अटर्नी जनरल (उप महानिरीक्षक)	01* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 13 क (131100-216600 रु.)	चयन पद।
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	पदोन्नति द्वारा।
प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।				
11½				
<b>iklufr }kjk %</b>				
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 के उस श्रेणी में दो वर्ष एवं समूह 'क' में कुल बीस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो और जो विभाग द्वारा यथाविहित पूर्व-प्रोन्नति प्रशिक्षण/पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है या कर लिए हैं।				
fVli .k% जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।				
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना			भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।	
(12)			(13)	
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-			लागू नहीं।	
(1) महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष; (2) संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य; (3) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य; (4) महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या किसी भी केंद्रीय पुलिस संगठन से — सदस्य।				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. अपर जज अटर्नी जनरल (कमांडेंट)	06* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 13 (123100-215900 रु.)	चयन पद।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	दो वर्ष पुनर्नियोजन के लिए।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन द्वारा।
(11)				
<b>iklufr }kjk %</b>				
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 के उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो और न्यायिक मामलों में या कोर्ट मामलों में दस वर्ष का अनुभव हो और जो विभाग द्वारा यथाविहित पूर्व-प्रोन्नति पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है या कर लिए हैं।				
fVli .k% जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।				
<b>ifrfu; {Dr }kjk%</b>				
केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी,—				
(i) जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री रखते हैं और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कमांडेंट का पद धारण किए हुए हैं, के साथ विधिक मामलों या कोर्ट केस में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखते हैं, या				

- (ii) जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री रखते हैं और ग्रेड में 05 वर्ष के अनुभव के साथ द्वितीय कमान का पद धारण किए हुए हों, के साथ समूह 'क' में पंद्रह वर्ष की सेवा की हो और विधिक मामलों या कोर्ट केस में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखते हैं, या
- (iii) बल के उप कमांडेंट जो विधि में डिग्री रखते हैं, और ग्रेड में 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो, के साथ विधिक मामलों में 10 वर्ष का अनुभव और समूह 'क' में कुल पंद्रह वर्ष की सेवा हो, या
- (iv) केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों में सेवारत जिनके अधिनियम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992 के समान हैं और समूह 'क' में न्यूनतम 15 वर्षों की सेवा के साथ समतुल्य पद धारण किए हुए हों, या
- (v) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में, साथ ही उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और समूह 'क' में पंद्रह वर्ष की नियमित सेवा की हो और विधिक में डिग्री के साथ विधिक मामलों में 10 वर्ष का अनुभव रखते हैं, या
- (vi) कर्नल है या रहा है या सेना या नौ सेना या वायु सेना में जज एडवोकेट जनरल विभाग में उसके समतुल्य रैंक का अधिकारी रहा है या लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक का कोई अधिकारी या जज एडवोकेट जनरल विभाग में समतुल्य अधिकारी जिसने संघ के किसी सशस्त्र पुलिस बल में पंद्रह वर्ष की कमीशंड सेवा की हो।

fVli .k 1% प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

fVli .k 2% प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

fVli .k 3.— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है, विचार किया जाएगा।

परन्तु ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधों पर रखा जाएगा, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बलों से निर्मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

fVli .k% प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी

(12)		(13)		
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-		लागू नहीं।		
(1) महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— अध्यक्ष;			
(2) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य;			
(3) संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	— सदस्य;			
(4) जज अटर्नी जनरल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य।			
समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-				
(1) महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— अध्यक्ष;			
(2) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य;			
(3) संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय	— सदस्य;			
(4) जज अटर्नी जनरल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य।			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. उप जज अटर्नी जनरल (उप कमांडेंट)	16* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 11 (67700—208700 रु.)	चयन पद।

(6)		
40 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)		
fVli .k% आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)		
(7)		
vfuo; l		
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से विधि की डिग्री के साथ न्यायिक मामलों में 07 वर्षों के विधि व्यवसाय का अनुभव हो या विधि में परास्नातक की डिग्री के साथ न्यायिक मामलों में पांच वर्ष के विधि व्यवसाय का अनुभव हो।		
(ii) एडवोकेट के रूप में नामांकन के लिए अर्हक होना चाहिए।		
okNuh;		
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में परास्नातक डिग्री या उसके समतुल्य।		
(ii) सशस्त्र बलों से संबंधित विशेष विधि के अधीन विचारणों से संबंधित दो वर्ष का अनुभव।		
'kkjhfjd ekunM		
i # "k	efgyk	
ऊँचाई	165 सेंटीमीटर	उंचाई 157 सेंटीमीटर
छाती	81 सेंटीमीटर (बिना फुलाये) 86 सेंटीमीटर (फुलाने पर)	छाती लागू नहीं
otu	50 किलोग्राम	otu कद के अनुपातिक।
दृष्टि (चश्में सहित या उसके बिना)	दूर की दृष्टि	दृष्टि (चश्में सहित या उसके बिना)
6/6 एक आंख से 6/9 दूसरी आंख से। नजदीक की दृष्टि	0.6 एक आंख से और 0.8 दूसरी आंख से।	दूर की दृष्टि
6/6 एक आंख से 6/9 दूसरी आंख से। नजदीक की दृष्टि	0.6 एक आंख से और 0.8 दूसरी आंख से।	6/6 एक आंख से 6/9 दूसरी आंख से नजदीक की दृष्टि 0.6 एक आंख से और 0.8 दूसरी आंख से।
v*; Fkhz vUrtkUq vk\$ I ikV ij dk ugha gkuk pkfg,		
8	9	10
लागू नहीं।	सीधी भर्ती के संबंध में दो वर्ष।	7 % पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा 93 प्रतिषत सीधी भर्ती द्वारा
iklufr }kjk %		
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 में उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और विहित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो।		
fVli .k % जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		
ifrfu; fDr }kjk%		
dkbz 0; fDr &		
(i) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के सेवारत अधिकारी जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री रखते हैं और समूह 'क' में विधिक मामलों या न्यायिक मामलों में 2.5 वर्ष के अनुभव के साथ 5 वर्ष की सेवा की हो, या		
(ii) सेना, वायुसेना और नौसेना के जज एडवोकेट जनरल विभाग में मेजर या समकक्ष पद के अधिकारी हैं अथवा रहे हों या		
(iii) राज्य न्यायिक सेवा में 5 वर्ष से अन्यून किसी अवधि के लिए सदस्य है या रहा हो, या		
(iv) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या उसके समतुल्य और केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेशों के विधि विभाग में समूह 'क' पद पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 पर हो या रहे हों, या		

- (v) कोई अधिकारी अभियोजन काउंसिल है या रहा है और केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेशों में समूह क पद पर 5 वर्ष से अन्यून अवधि तक वेतन मैटिक्स में स्तर 10 पर हो या रहे हों, या
- (vi) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या उसके समतुल्य रखने वाला कोई अधिकारी और केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेशों में समूह क पद पर वेतन मैटिक्स के स्तर 10 में 5 वर्ष तक रहा हो या रहे हों और विधिक विषयों/न्यायलय के मामलों का 5 वर्ष से अन्यून अवधि का अनुभव रखता हो, या
- (vii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या उसके समतुल्य रखने वाला कोई अधिकारी और सहायक सेनानी पद या उसके समतुल्य केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों या राज्य पुलिस सहित संघ के किसी अन्य सशस्त्र बलों में वेतन स्तर-10 में कार्यरत हो तथा जिसके साथ दो वर्ष छः माह का विधिक विषयों /न्यायलय के मामलों का अनुभव रखता हो।

fVli.k 1% प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

fVli.k 2% प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-  (1) महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष; (2) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य; (3) जज अटर्नी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य; (4) निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य।  समूह 'क' नियमितीकरण समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-  (1) महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष; (2) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य; (3) जज अटर्नी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य; (4) निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य।	लागू नहीं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. जज अटर्नी (सहायक कमांडेंट)	01* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अननुसचिवीय)	स्तर 10 (56100-177500 रु.)	लागू नहीं।

6

35 वर्ष तक।

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

fVli.k 1% आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

7

vfuo; 1%

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समकक्ष।  
(ii) विधिक मामलों में 3 वर्ष का अनुभव।  
(iii) एक एडवोकेट के रूप में पंजीकरण होने के लिए अर्हक

okNuh; :		
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में मास्टर डिग्री या समकक्ष।		
(ii) सशस्त्र बलों से संबन्धित विशेष विधि के अधीन विचारणों से संबन्धित दो वर्ष का अनुभव।		
'kkjhfjd ekun.M		
(ii) शारीरिक और चिकित्सीय मानक:		महिलाओं के लिए
पुरुष		
कद	165 सेन्टीमीटर	कद 157 सेन्टीमीटर
छाती	81 सेन्टीमीटर (बिना फुलाये) 86 सेन्टीमीटर (फुलाने पर)	छाती लागू नहीं।
वजन	50 किलोग्राम	वजन कद के अनुपातिक।
दृष्टि (चश्में सहित या उसके बिना)		दृष्टि (चश्में सहित या उसके बिना)
दूर की दृष्टि: 6/6 एक आंख से तथा दूसरी आंख से 6/9		दूर की दृष्टि: 6/6 एक आंख से तथा दूसरी आंख से 6/9
नजदीक की दृष्टि: 0.6 एक आंख से तथा दूसरी आंख से 0.8		नजदीक की दृष्टि: 0.6 एक आंख से तथा दूसरी आंख से 0.8
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	सीधी नियुक्ति के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा (भूतपूर्व कर्मियों के पुनर्नियोजन) जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

ifrfu; fDr@vkesyu }kj% dkbz 0; fDr tk&	
(i) कैप्टन या समतुल्य रैंक का अधिकारी जो सेना या नौ सेना या वायु सेना के जज एडवोकेट जनरल विभाग में कार्यरत है या रहा है, या	
(ii) सहायक कमांडेंट या समतुल्य पद धारक कोई अधिकारी केंद्रीय पुलिस संगठनों/केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में वेतन मेट्रिक्स में स्तर 10 पर है या रहा हो, और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या उसके समतुल्य, रखता है, या	
(iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों का सदृश्य पद रखने वाला कोई अधिकारी वेतन मेट्रिक्स स्तर 10 पर है या रहा है और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या उसके समतुल्य रखता है।	
fVli .k 1.— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
fVli .k 2& प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
Hkri wZ l fudks dk i pfuz kst u%	
ऐसे व्यक्तियों के पुनर्नियोजन द्वारा जो सेना या नौ सेना या वायु सेना के जज एडवोकेट जनरल विभाग में कैप्टन या उसके समतुल्य पद का अधिकारी रहा हो तथा स्तम्भ 7 में विहित अर्हताएं एवं अनुभव रखता हो तथा सेवा में दो वर्ष से अधिक का व्यवधान न हो।	
fVli .k& पुनर्नियोजन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (1) महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — अध्यक्ष; (2) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य; (3) जज अटर्नी जनरल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल — सदस्य; (4) निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य।	लागू नहीं।

समूह 'क' विभागीय स्थायीकरण समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-	
(1) महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— अध्यक्ष;
(2) महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य;
(3) जज अटर्नी जनरल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	— सदस्य;
(4) निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय	— सदस्य।

[फा.सं. I-12012/21/2016-संग.]

हरीश चंद्र राय, अवर सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th April, 2019

**G.S.R. 308(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (p) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Judge Attorney General, Additional Judge Attorney General, Deputy Judge Attorney General and Judge Attorney Group 'A' Posts Recruitment and Conditions of Service Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Judge Attorney General (Deputy Inspector General), Additional Judge Attorney General (Commandant), Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and Judge Attorney (Assistant Commandant) in the Indo-Tibetan Border Police Force, Ministry of Home Affairs, namely :-

**1. Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Judge Attorney General, Additional Judge Attorney General, Deputy Judge Attorney General and Judge Attorney Group 'A' Posts Recruitment and Conditions of Service Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**- These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of post, classification and level in the pay matrix.**- The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc..**- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

**5. General :** Service rendered as Judge Attorney General (Deputy Inspector General), Additional Judge Attorney General (Commandant), Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and Judge Attorney (Assistant Commandant) shall be deemed to be Judicial service and shall reckon as such for all purposes.

**6. Medical Fitness.**- Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in Health Care System in Central Armed Police Forces, shall be eligible for appointment and promotion including appointment by deputation or re-employment under the provisions of these rules.

**7. Seniority.**- The seniority of Judge Attorney General (Deputy Inspector General), Additional Judge Attorney General (Commandant), Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and Judge Attorney (Assistant Commandant) shall be determined in accordance with the following principles, namely :-

- (i) an officer appointed in a substantive capacity shall be senior to an officer appointed in an officiating capacity ;
- (ii) seniority of officers appointed to any post in a substantive capacity shall be determined in accordance with the date of appointment to that post in a substantive capacity and where two or more officers are appointed in a substantive capacity on the same date, their seniority shall be determined in accordance with their seniority while holding such posts in an officiating capacity ; and



- (iii) seniority of officers appointed to any post in an officiating capacity shall be determined in accordance with the order of selection for appointment to the posts.

**8. Other conditions of Service.-** The conditions of service of the Judge Attorney General (Deputy Inspector General), Additional Judge Attorney General (Commandant), Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and Judge Attorney (Assistant Commandant) in respect of matters for which no provision or insufficient provision has been made under these rules, shall, unless the Central Government, by an order in writing, otherwise directs, be the same as are applicable from time to time to other officers of the Indo-Tibetan Border Police Force holding the corresponding ranks or status.

**9 Disqualification.-** No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**10. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**11. Ineligibility of non-citizens of India.-** No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

**12. Superannuation.-** (1) Officers holding the rank of Judge Attorney General (Deputy Inspector General) shall retire from service in the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of sixty years and officers holding the rank of Additional Judge Attorney General (Commandant), Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and Judge Attorney (Assistant Commandant) shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which they attain the age of fifty seven years:

Provided that the person whose date of birth is the first of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation i.e. sixty years or fifty seven years, as the case may be.

- (2) No person shall be granted extension in service beyond the specified age of retirement on superannuation.

**13. Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**14. Interpretation.-** If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

#### SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Judge Attorney General (Deputy Inspector General)	01* 2019 *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 13A (Rs. 131100 - 216600)	Selection Post.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
--------------------------------	--	---	------------------------------	--

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption is to be made.

(11)

**By Promotion:**

From amongst Additional Judge Attorney General (Commandant) of Indo-Tibetan Border Police Force in level 13 in the pay matrix with two years regular service in the grade and having twenty years of Group 'A' service on regular basis in the force and having successfully completed the prescribed pre-promotional training or course.

**Note.**— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.

Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(12)

(13)

Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of:-

- |  |             |
|--|-------------|
| (1) Director General, Indo-Tibetan Border Police Force                                   | - Chairman; |
| (2) Joint Secretary, Ministry of Home Affairs  | - Member;   |
| (3) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force                                  | - Member;   |
| (4) Inspector General, Central Reserve Police Force or any Central Police Organisation . | - Member.   |

Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Additional Judge Attorney General (Commandant).	06* 2019 *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial).	Level 13 (Rs.123100-215900)	Selection Post.

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years for re-employment.	By promotion failing which by deputation. For ex-Serviceman: deputation/ re-employment.

(11)

**By promotion:**

From amongst Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) of Indo-Tibetan Border Police Force in level 11 in the pay matrix with ten years regular service in the grade and having minimum ten years experience in dealing with legal matters or court cases and having successfully completed the prescribed pre-promotional courses.

**Note.**— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**By deputation:**

Officers in the Central Government-

- (i) possessing degree in Law from a recognised university and holding the post of Commandant in Indo-Tibetan Border Police Force having ten years experience in dealing with legal matters or Court cases; or
- (ii) possessing degree in Law from a recognised university and holding the post of Second-in-Command with five years service in the grade with fifteen years Group 'A' service and having at least ten years experience in dealing with legal matter or Court cases; or
- (iii) Deputy Commandant of the force having degree in Law and ten years regular service in the level with ten years experience in legal affairs and having total fifteen years of Group 'A' service; or
- (iv) serving in Para Military Forces having an Act similar to Indo-Tibetan Border Police Force Act 1992 holding analogous post with minimum of fifteen years Group 'A' service ; or
- (v) in level 12 in the pay matrix with five years regular service in the grade and having fifteen years of Group 'A' service and having degree in Law with ten years experience in legal affairs; or
- (vi) is or has been an officer of the rank of Colonel or equivalent in the Department of the Judge Advocate General in Army or Navy or Air Force; or an officer of the rank of Lieutenant Colonel or equivalent in the Department of Judge Advocate General with fifteen years commissioned service in any of the Armed forces of the Union.

**Note 1.**— The period of deputation including of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding of this appointment in the same or some other organization or department of Central Government shall ordinarily not exceed five years.

**Note 2.**— The maximum age limit for eligibility for deputation shall be not exceeding fifty-two years on the date of receipt of application.

**Note 3.**— The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**For ex-serviceman: deputation/re-employment:**

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications specified for deputationists shall also be considered.

Provided that such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due to be released from Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment.

**Note:** The maximum age limit for eligibility for deputation or re-employment shall not be exceeding fifty-two years on the date of receipt of application.

(12)				(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of :-				Not applicable.
(1) Director General, Indo-Tibetan Border Police Force			- Chairman;	
(2) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force			- Member;	
(3) Joint Secretary, Ministry of Home Affairs			- Member;	
(4) Judge Attorney General, Indo-Tibetan Border Police Force			- Member.	
Group 'A' Departmental Confirmation Committee consisting of:-				
(1) Director General, Indo-Tibetan Border Police Force			- Chairman;	
(2) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force			- Member;	
(3) Joint Secretary, Ministry of Home Affairs			- Member;	
(4) Judge Attorney General, Indo-Tibetan Border Police Force			- Member.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant).	16* 2019 *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A' Gazetted, (Non - Ministerial).	Level 11 (Rs. 67700-208700).	Selection Post.

(6)		
Forty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).		
<p><b>Note.</b>— The crucial date for determining the age limit in each case shall be the closing date of receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p>		
(7)		
<b>Essential :</b>		
(i) Bachelor degree in Law from recognised University or equivalent with Seven years experience in Legal practice or Master degree in Law with five years experience in legal practice.		
(ii) Should be qualified for enrolment as an Advocate.		
<b>Desirable :</b>		
(i) A post graduate degree in Law from recognised University or equivalent.		
(ii) Two years experience in dealing with trials under special laws related to Armed Forces.		
<b>Physical Standard:</b>		
<p><b>(i) For male:</b> Height : 165 centimeters Chest : 81 centimeters (Unexpanded) 86 centimeters (Expanded)</p> <p><b>Weight:</b> 50 Kgs. Eyesight (with or without glasses) Distant vision: 6/6 in one eye 6/9 in the other eye. Near vision: 0.6 in one eye and 0.8 in other eye.</p>	<p><b>(ii) For female:</b> Height : 157 centimeters Chest : Not applicable</p> <p><b>Weight:</b> Proportionate to height. Eyesight (with or without glasses) Distant vision: 6/6 in one eye 6/9 in the other eye. Near vision: 0.6 in one eye and 0.8 in other eye.</p>	
<b>Candidates should not have knock-knees and flat foot.</b>		
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years in case of direct recruits.	7% by promotion failing which by deputation and 93% by direct recruitment.
(11)		
<b>By promotion:</b>		
From amongst Judge Attorney (Assistant Commandant) of Indo-Tibetan Border Police Force in level 10 in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed the prescribed pre-promotional training/course.		
<p><b>Note.</b>— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level in the pay matrix along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>		
<b>By deputation:</b>		
A person who.-		
(i) serving Indo-Tibetan Border Police Force officers with degree in Law and five years Group 'A' service with minimum two and half years experience in dealing with legal matters or court cases; or		
(ii) is or has been an officer of the rank of Major or equivalent in the Department of the Judge Advocate General in Army or Navy or Air Force; or		
(iii) is or has been a member of the State Judicial Service for a period of not less than five years or;		
(iv) is or has been an officer having degree in law of a recognised University or equivalent and holding Group 'A' post in level 11 in the pay matrix in the legal department of Central Government or State Government or Union territories; or		
(v) is or has been an officer who has been a prosecution counsel and holding a Group 'A' post in level 10 in the pay matrix in the Central Government or State Government or Union territories for a period of not less than five years; or		

- (vi) is or has been an officer having degree in law of a recognised University or equivalent and has been holding a Group 'A' post in level 10 in the pay matrix in the Central Government, State Government or Union territories for five years and having experience in dealing with legal matters or court cases for a period not less than five years; or
- (vii) is or has been an officer having degree in law of a recognised University or equivalent and has been holding the post of Assistant Commandant or equivalent in level 10 in the pay matrix in any other Armed Force of the Union inclusive of Central Para Military Force or State Police for five years with two and half years experience in dealing with legal matters or court cases.

**Note 1.**— The period of deputation including of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding of this appointment in the same or other organisation or department of Central Government shall ordinarily not exceed four years.

**Note 2.**— The maximum age limit for eligibility for deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the date of receipt of application.

(12)				(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of:- (1) Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; (2) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; (3) Judge Attorney General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; (4) Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member.				Not applicable.
Group 'A' Departmental Confirmation Committee consisting of:- (1) Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman; (2) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; (3) Judge Attorney General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member; (4) Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Judge Attorney (Assistant Commandant)	1* 2019 *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial).	level 10 (Rs.56100-177500).	Not applicable.
(6)				
35 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).				
<b>Note.</b> — The crucial date for determining the age-limit in each case shall be the closing date of receipt of applications from candidates in India.(and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).				
(7)				
<b>Essential :</b>				
(i) Degree in Law from recognised University or equivalent.				
(ii) Three years experience in dealing with legal matters.				
(iii) Should be qualified for enrolment as an Advocate.				
<b>Desirable :</b>				
(i) A post graduate Degree in Law from recognised University or equivalent.				
(ii) One year experience in dealing with trials under special laws related to Armed Forces.				
<b>Physical Standard:</b>				
<b>(i) For male:</b> Height : 165 centimeters Chest : 81 centimeters (Unexpanded) 86 centimeters (Expanded)			<b>ii) For female:</b> Height : 157 centimeters Chest : Not applicable	
<b>Weight: 50 Kgs.</b>			<b>Weight: Proportionate to height.</b>	

Eyesight (with or without glasses) Distant vision: 6/6 in one eye 6/9 in the other eye. Near vision: 0.6 in one eye and 0.8 in other eye.	Eyesight (with or without glasses) Distant vision: 6/6 in one eye 6/9 in the other eye. Near vision: 0.6 in one eye and 0.8 in other eye.
(8)	(9)
Not applicable.	Two years for direct recruits.
(10)	
By deputation/ absorption (for ex-servicemen re-employment) failing which by direct recruitment.	

(11)	
<p><b>By deputation/absorption:</b> A person who.—</p> <p>(i) is or has been an officer of the rank of Captain or equivalent in the Department of the Judge Advocate General in Army or Navy or Air Force; or</p> <p>(ii) is or has been an officer holding the post of Assistant Commandant or equivalent in level 10 in the pay matrix in the Central Police Organisations/ Central Para Military Forces having degree in law of a recognised University or equivalent; or</p> <p>(iii) is or has been an officer of Central Government or State Government or Union territories holding the analogous post and is having degree in law of a recognised University or equivalent in level 10 in the pay matrix.</p> <p><b>Note 1.</b>— The period of deputation including of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding of this appointment in the same or other organization or department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p><b>Note 2.</b>— The maximum age limit for eligibility for deputation shall be not exceeding fifty-two years as on the date of receipt of application.</p> <p><b>By re-employment of ex-servicemen :</b> By re-employment of person who has been an officer of the rank of Captain or equivalent in the department of Judge Advocate General in Army or Navy or Air Force and possessing the qualifications and experience prescribed under column (7), having break in service of not more than two years.</p> <p><b>Note.</b>— The maximum age limit for eligibility for re-employment shall not be exceeding fifty-two years on the date of receipt of application.</p>	
(12)	(13)
<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of:-</p> <p>(1) Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Judge Attorney General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(4) Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member.</p> <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee consisting of:-</p> <p>(1) Director General, Indo-Tibetan Border Police Force - Chairman;</p> <p>(2) Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(3) Judge Attorney General, Indo-Tibetan Border Police Force - Member;</p> <p>(4) Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs - Member.</p>	Not applicable.

[F. No. I.12012/21/2016-Org.]

HARISH CHADRA RAI, Under Secy.